भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 741
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

'हमारा संविधान हमारा सम्मान' पोर्टल

741. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :
श्रीमती स्मिता उदय वाघ :
श्री मनोज तिवारी :
श्री विजय कुमार दूबे :
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री बिभु प्रसाद तराई :
श्री नव चरण माझी :
श्री काली चरण सिंह :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**
(क) 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' पोर्टल का ब्यौरा क्या है ;
(ख) क्या संविधान और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी आम लोगों को हो, इस संबंध में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ग) देश में कानून एवं न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में जन भागीदारी की क्या भूमिका है ;
(घ) क्या 23वां विधि आयोग न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करेगा ताकि उसे वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके ; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्याय विभाग भारत के गणतंत्र के रूप में 75वें वर्ष और भारत के संविधान को अंगीकृत करने का उत्सव मनाने के लिए 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' नामक एक अखिल भारतीय, वर्ष भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान लागू कर रहा है। इस अभियान का शुभारंभ 24 जनवरी, 2024 को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था। इसके बाद, अभियान की विकेन्द्रित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः 9 मार्च, 2024 को बीकानेर, राजस्थान में, 16 जुलाई, 2024 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में और 19 नवंबर, 2024 को गुवाहाटी, असम में तीन क्षेत्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का लक्ष्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है।

16 जुलाई, 2024 को प्रयागराज में दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया 'हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल' संविधान और लोगों के कानूनी अधिकारों के बारे में उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करता है। यह वेब पोर्टल https://www.hamarasamvidhan.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, अभियान ने MyGov

के सहयोग से आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सार्वजनिक जुड़ाव उत्पन्न किया है, जिससे नागरिकों को संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए प्रेरित किया गया है।

"हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल" का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को संविधान के अधीन उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। महत्वपूर्ण कानूनी ज्ञान तक आसान पहुँच प्रदान करके, पोर्टल का लक्ष्य व्यक्तियों को उनके अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा, संविधान के महत्व और न्याय, समानता और लोकतंत्र को बनाए रखने में इसकी भूमिका की गहरी समझ को बढ़ावा देकर, पोर्टल से नागरिकों के बीच संविधान के प्रति अधिक सम्मान और श्रद्धा उत्पन्न करने की आशा है। संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा देना लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने तथा यह सुनिश्चित करने की कुंजी है कि नागरिक अपने लिए लागू कानूनों का सम्मान करें।

यह पोर्टल एक सुलभ, उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच के रूप में कार्य करता है जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों, प्रमुख कानूनी अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। इंटरैक्टिव टूल, वीडियो सामग्री और पाठ संसाधनों के माध्यम से, नागरिक संविधान के ऐतिहासिक महत्व, इसके निर्माताओं और संविधान के प्रावधानों द्वारा उनके दैनिक जीवन में उनके अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा कैसे की जाती है, के बारे में जान सकते हैं।

पोर्टल को क्विज़, क्रॉसवर्ड और प्रस्तावना और पंच प्राण के वाचन में भाग लेने के अवसर जैसी इंटरैक्टिव सुविधाएँ प्रदान करके नागरिकों को सक्रिय रूप से संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज तारीख तक 1.29 लाख नागरिकों ने देश भर में 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान के अधीन पंच प्राण गतिविधि में भाग लिया है।

अपने मूल में, यह अभियान नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में आवश्यक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लक्ष्य से एक गतिशील मंच के रूप में कार्य करता है। इस अभियान में भाग लेना व्यक्तिगत हितों से परे जाने और प्रगति, समावेशिता और सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र के निर्माण के सामूहिक प्रयास में एकजुट होने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह राष्ट्रव्यापी पहल प्रत्येक नागरिक को विभिन्न तरीकों से भाग लेने के अवसर प्रदान करती है, और उन्हें अपने तीन उप-अभियानों के माध्यम से सार्थक योगदान करने के लिए सशक्त बनाती है, अर्थात:- सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान। पहले उप-अभियान, सबको न्याय हर घर न्याय का लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है, इसके लिए नागरिकों को क्षेत्रीय भाषाओं में पंच प्राण प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। नागरिकों के लिए "न्याय सेवा मेला" नामक नागरिक-केंद्रित सेवा मेले भी आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, देश के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लगे न्याय सहायकों द्वारा घर-घर जाकर जागरूकता प्रदान की जा रही है।

अभियान का दूसरा उप-विषय नव भारत नव संकल्प है। इस गतिविधि के अंतर्गत, संविधान क्विज़ प्रतियोगिता (भारत के संविधान के प्रावधानों पर आधारित जिसमें 53222 नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें से 1000 प्रविष्टियाँ चुनी गईं), पंच प्राण रंगोत्सव (पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता जिसमें 876 नागरिकों ने भाग लिया) और पंच प्राण अनुभव (रील बनाने की प्रतियोगिता जिसमें 830 नागरिकों ने भाग लिया) जैसी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित की गईं और विजेताओं को 16.07.2024 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

तीसरा उप-विषय अर्थात् विधि जागृति अभियान में जमीनी स्तर की पहल और शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से कानूनी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। इस उप-अभियान के अधीन, गतिविधि का नाम ग्राम विधि चेतना है जो छात्रों को उनके संबंधित प्रो बोनो क्लब के अधीन गोद लिए गए

गांवों में कानूनी जागरूकता गतिविधियों को चलाने में संलग्न करती है। आज तक, लॉ स्कूलों के माध्यम से 10,000 पहुँच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गतिविधि अर्थात वंचित वर्ग सम्मम में संवैधानिक शिक्षा को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है जहां इग्नू और दूरदर्शन विभिन्न हाशिए के समूहों के अधिकारों को सम्मिलित करते हुए ऑनलाइन कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित कर रहे हैं। उप अभियान के अधीन गतिविधि नारी भागीदारी है जिसका लक्ष्य लिंग आधारित मुद्दों पर ध्यान देते हुए ऑनलाइन कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित करना है। अभियान के तीसरे उप विषय में आज तक कुल 65.80 लाख नागरिकों की पहुंच है।

(घ) और (ङ) : जी हाँ। भारत के 23वें विधि आयोग के विचारार्थ विषयों के भाग (ग) में, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायिक प्रशासन की प्रणाली की समीक्षा करने का अधिदेश है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह समय की युक्तियुक्त मांगों के प्रति संवेदी है और विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि:

(i) विलम्ब को समाप्त करना, बकाया का शीघ्र निपटारा और लागत में कमी करना, ताकि निर्णय न्यायसंगत और निष्पक्ष होने के मूल सिद्धांत को प्रभावित किए बिना मामलों का त्वरित और किफायती निपटारा सुनिश्चित किया जा सके;

(ii) आदेशिकाओं और न्यायालय प्रक्रियाओं का सरलीकरण और एकरूपता तथा समझने और कार्यान्वयन में आसानी के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों के नियमों में सामंजस्य स्थापित करने का सुझाव देना।

(iii) विलम्ब के लिए तकनीकियों और युक्तियों को कम करने और समाप्त करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण, ताकि यह अपने आप में एक लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iv) मामला प्रबंधन सुनवाई और मामला प्रवाह प्रबंधन के लिए ढांचे का कार्यान्वयन।

****